न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : बी0एल0 कोठारी, आई.ए.एस

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 09/2017

1. समरदीन पुत्र नेकू खॉ
2. कायम खॉ उर्फ कायमदीन पुत्र श्री नेकू खॉ,
3. नूर खॉ उर्फ नूरदीन पुत्र दीने खॉ निवासी– सुगनपुरा, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

1. काशीराम चौहान, उपखण्ड अधिकारी, पोकरण।
2. नारायण गिरी, तहसीलदार पोकरण।
3. तेजमालसिंह,एस0एच0ओ0 पुलिस थाना पोकरण।
4. मोहम्मद खॉ पुत्र सफी खॉ।
5. अमीरदीन पुत्र सफी खॉ
6. रसीद मोहम्मद पुत्र सफी खॉ निवासी– केलावा तहसील– पोकरण जिला जैसलमेर।

अवमानना याचिका वास्ते दण्डित करने अप्रार्थीगण

उपस्थितिः––

1. श्री एल0डी0 खत्री, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री पी0 डी0 दवे, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक जून,2019

1. प्रार्थीगण की ओर से उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर के द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 25.4.2016 के विरूद्ध दिनांक 29.09.2016 को प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण संख्या 09/2017 के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अति0 सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा दिनांक 7.6.2017 को निर्णित पत्रावली संख्या 49/2016 समरदीन वगैराह बनाम राज्य में जारी स्थगन आदेश दिनांक 25.04.2016 ''ग्राम केलावा के खसरा संख्या 290/137 रकबा 177 बीघा व खसरा संख्या137/2 रकबा 1 बीघा कुल 178 बीघा के सम्बन्ध में आगामी

सुनवाई तिथी तक मौके की यथास्थिति बनाई रखे जाने बाबत'' एवं दिनांक 22.7.2016 को जारी संशोधित स्थगन आदेश कि ''उपखण्ड अधिकारी पोकरण के पारित आदेश कमांक राजस्व/16/92 दिनांक 23.2.2016 की पालना को आगामी सुनवाई तिथी तक स्थगित किया जाता है, को आधार बनाकर प्रार्थीगण की ओर से यह अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगणों के द्वारा स्थगन आदेश में जारी निर्देशों की अवहेलना की गई है। तथा मौके पर अप्रार्थीगण के द्वारा भूमि पर लगे हुए पेडों को काट दिया तथा पत्थर डाल दिये गये, प्रार्थीगण द्वारा उन्हें मना करने पर वे उनसे मारपीट पर उतारू हो गये, जिसकी सूचना उपखण्ड अधिकारी, पोकरण, जिला कलेक्टर जैसलमेर एवं तहसीलदार, पोकरण एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना को दी थी परन्तु सभी ने मिलीभगती कर उसे रोकने हेतु अपने स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। अप्रार्थी संख्या 4 से 6 को यथास्थिति के आदेश में अवहेलना करने के कृत्य को नहीं रोका तथा अप्रत्यक्ष रूप से अप्रार्थी संख्या 4 से 6 के कृत्य को आश्रय प्रदान किया जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या1 से 3 ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए तथा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हुए माननीय न्ययालय के आदेशों की घोर अवहेलना की है। जिसके लिये इनके विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही अमल लाई जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेते हुए स्थगन आदेश दिनांक 25.4.2016 की अवहेलना हेतु उन्हें दण्डित करने की कार्यवाही करें।

4. इसके विपरित अप्रार्थीगण संख्या 4 से 6 के अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगणों द्वारा किसी भी प्रकार से माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की है। अप्रार्थीगण अपने हक–हिस्से वाली कृषि भूमि पर काबिज काश्त है परन्तु प्रार्थीगण स्वयं न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर, मौके की स्थिति में न केवल लगातार परिवर्तन कर रहे है बल्कि यथास्थिति के आदेश की अवहेलना भी कर रहे है। उनका यह भी कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा न तो मौके पर से भूमि में लगे हुए पेडों को काटा गया है, न ही मारपीट की गई है। माननीय न्यायालय ने अप्रार्थीगण की खातेदारी के खसरान की सीमाज्ञान कराने एवं पत्थरगढी कराने के अधिनस्थ न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध माननीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा एक पक्षीय यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है। जिसका अर्थ यही होता है कि इस यथास्थिति के आदेश के रहते मौके पर कोई सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की

कार्यवाही न की जावें। यह सही है कि मौके पर ऐसी कार्यवाही नहीं हुई है एवं प्रार्थीगण भी अपने प्रार्थना पत्र में बहस में इस प्रकार का उल्लंघन होना नहीं बता रहे है।

हमने अति0 संभागीय आयुक्त न्यायालय की निर्णित पत्रावली संख्या 49/2016 समरदीन वगैराह बनाम राज्य में जारी स्थगन आदेश दिनांक 25.04.2016 ''ग्राम केलावा के खसरा संख्या 290/137 रकबा 177 बीघा व खसरा संख्या137/2 रकबा 1 बीघा कुल 178 बीघा के सम्बन्ध में आगामी सुनवाई तिथी तक मौके की यथास्थिति बनाई रखे जाने बाबत'' एवं दिनांक 22.7.2016 को जारी संशोधित स्थगन आदेश कि ''उपखण्ड अधिकारी पोकरण के पारित आदेश क्रमांक राजस्व/16/92 दिनांक 23.2.2016 की पालना को आगामी सुनवाई तिथी तक स्थगित किया जाता है'' तथा प्रार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र तथा अन्य प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया।

5. प्रार्थीगणों द्वारा उल्लेखित स्थगन आदेश दिनांक 25.4.2016 के विरूद्व यह अवमानना प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थीगण संख्या 4 से 6 ने माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए उक्त भूमि में लगे हुए पेडों को काट दिये तथा पत्थर डाल दिये। प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर उनके साथ मारपीट करने हेतु उतारू हो गये। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर जैसलमेर उपखण्ड अधिकारी पोकरण एवं तहसीलदार पोकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन इन सभी ने मिलकर अप्रार्थी सख्या 4 से 6 को यथा स्थिति के आदेश में अवहेलना करने के कृत्य को नही रोका।

6. प्रार्थी द्वारा अपने अवमानना प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया है। कि विपक्षी मोहम्मद खां अमीरदीन रशीद मोहम्मद पुत्रान श्री शफी मोहम्मद खां स्वयं तथा अपने अन्य व्यक्तियों के सहयोग से मौके की स्थिती में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे है। तथा चिपते हुए जी एल आर पर महिलाओं को पानी नही भरने दे रहे है। तथा घर के बाहर निकलने के चारों रास्ते बन्द कर हथियार लेकर खडे है। तथा बच्चों को स्कूल नही जाने दे रहे है ऐसी स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय की घोर अवहेलना कर रहे है। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी पोकरण को ईलमदीन पुत्र श्री कायम खां द्वारा दिनांक 14.7.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया है कि निवेदन है कि आदेश क्रमांक 49/16 कि प्रतिलिपि नकल देने के लिए में उपखण्ड कार्यालय परिसर में गया तब पिदे से आये बरकत कादर खां रजाक खां अमरदिन अ0 रहमान अ0 रउफ, अ0 हकीम अ0

कदीर जिला हाजी मोहम्मद खां अयुब खां पुत्र अ0 रहमान खां ने कार्यालय परिसर में प्रवेश करते समय मुझे जान से मारने कि धमकिया दी व गाली गलौच भी किया है। ये लोग मुझे मेरे घर जाते समय मेरे साथ घटना घटित कर सकते है।

7. प्रथमतः तो यह विचारणीय है कि उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर उपखण्ड अधिकारी पोकरण, तहसीलदार, पोकरण तथा थानाधिकारी, पुलिस थाना, पोकरण को अप्रार्थी सख्या 1 से 3 तक बनाया जाना क्या न्यायोचित है? क्या यह विधि का दुरूपायोग नही है? हमारी विनम्र राय में निशिचित रूप से यह राजकीय कर्मचारीयों को प्रभावित करने के लिये किया गया विधि का दुरूपयोग है क्योंकि न्यायालय का स्थगन आदेश न तो इन पर लागू था एवं न ही इनको इसकी पालना कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

8. इसी प्रकार प्रार्थीगणो ने अपने अवमानना प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण 4 से 6 के विरूद्व वादग्रस्त आराजी में पत्थर डालने एवं पेडों को काट देने का कथन किया है। लेकिन उनके द्वारा राजकीय अधिकारीयो को प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के मजमून में कही भी उल्लेखित नहीं है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र में इसका उल्लेख अब विश्वास करने योग्य नही कहा जा सकता है। यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि माननीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा दिनांक 22.7.2019 को अप्रार्थीणो की बहस सुनने के पश्चात अपने पूर्व आदेश दिनांक 25.4.2016 को संशोधित करने हुए अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी पोकरण के आदेश की क्रियान्विति अग्रिम तारीख पेशी तक रोक दी।

9. हमने अवमानना उपरोक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में सुने जाने के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं से जानना चाहा तो उनका कथन था कि यह प्रार्थना पत्र उनके द्वारा The Contempt of Court Act 1971 के तहत प्रस्तुत किया है। यह बताये जाने पर कि उक्त अधिनियम के तहत तो केवल माननीय उच्च न्यायालय ही सुनवाई कर सकता है। तो विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के द्वारा कहा गया कि उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत इसे माननीय उच्च न्यायालय को रेफर करने का अधिकार न्यायालय हाजा को होने से यहां प्रस्तुत किया हैं

10. हमने Contempt of Court Act 1971 की धारा 2 (b) जिसमें Civil Contempt व 2(c) criminal contempt को परिभाषित किया गया है का अवलोकन किया। उक्त 2(b) व 2(c) धारा इस प्रकार से है।

2 (b) civil contempt means willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other process of a court or willful breach of an undertaking given to a court.

(c) Criminal contempt means the publication (whether by words ,spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise) of any matter or the doing of any other act whatsoever which

(i) scandalizes or tends to scandalize, or lowers or tends to lower the authority of, any court ; or

(ii) prejudices, or interferes or tends to interfere with , the due course of any judicial proceeding ; or

(iii) interferes or tends to interfere with, or obstructs or tends to obstruct, the administration of justice in any other manner;

इसी प्रकार धारा 15 इस प्रकार से है::——

In case of any criminal contempt of a subordinate court, the High Court may take action on a reference made to it by the subordinate court on a motion made by the Advocate General or, in relation to a union territory, by such law officer as the Central Government may, by notification in the official gazette, specify in this behalf.

यहां उक्त अधिनियम की धारा 10 का उल्लेख करना भी समीचीन होगा जिसके अनुसार अधिनस्थ न्यायलयों के आदेशो की अवहेलना के लिये अवमानाना की कार्यवाही केवल माननीय उच्च न्यायालय में ही संस्थित की जा सकती है। धारा 10 इस प्रकार से है:——

10. Power of High Court to punish contempt of subordinates courts ? Every High Court shall have and exercise the same jurisdiction, power and authority, in accordance with the same procedure and practice. In respect of contempt of courts subordinates to it as it has and exercises in respect of contempt of itself:

Provided the no High Court shall take cognizance of a contempt alleged to have been committed in respect of a court subordinate to ti where such contempt is an offence punishable under the Indian peanl code(45 of 1860).

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त अवमानना का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में चलने योग्य (Triable) नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक .06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर